(162)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियार म0प्र0

RS-301/—

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R5398 III-116

मोहन लाल सिंह तनय लाला सिंह कुर्मी निवासी ग्राम तुर्का गोदर तह0 त्योथर जिला रीवा म0प0 —— निगरानी कर्ता

विरूद्ध

1—भोली प्रसाद तनय रामगोपाल

2— विसुनियां देवी पत्नी स्व0 मुद्रिका प्रसाद

3— सरजो प्रसाद पिता रामगोपाल

सभी निवासी ग्राम मारानचन्द्र थाना बहेलपुरवा तह0 मानिकपुर जिला चित्रकूट उ0प्र0 —— गैर निगरानी कर्ता गण

अधि0 श्री भास्कर पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत 12-9-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी त्योथर तहसील त्योथर जिला रीवा म0प्र0 राजस्व प्रकरण कमांक 117/ए27—अपील /14—15 आदेश दिनांक 26—08—16

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत घोषित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

2— यह कि मौजा तुर्का गोदर हल्का पटवारी तुर्कागोदर तह0 त्योथर जिला रीवा म0प्र0 की आराजी नं0 50 के मालिक एवं भूमि स्वामी निगरानीकर्ता है और उक्त भूमि उसकी पुस्तैनी भूमि है उसमें निगरानीकर्ता का कब्जा निरन्तर पुस्तैनी चला आ रहा है लेकिन गैर निगरानी कर्ता गण जो उ0प्र0 जिला चित्रकूट के निवासी है यहां म0प्र0 में आकर कमजोर व्यक्तियों के भूमि को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5398–II/16 जिला–रीवा

मोहनलाल सिंह/भोली प्रसाद

(1)	(2)	(3)
17.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	